RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 272
दि. 03.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चीनी घुसपैठ पर संसद में तूफान, राहुल गांधी के आरोपों से गरमाया माहौल, राजनाथ-शाह के विरोध के बीच लोकसभा स्थगित

(जीएनएस)। नई दिल्ली में सोमवार को लोकसभा का माहौल उस समय अचानक तनावपूर्ण हो गया जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। राहुल गांधी ने सदन में पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित आत्मकथा का हवाला देते हुए दावा किया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में गहराई तक घुसपैठ की थी और उस दौरान हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। उनके इस बयान के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से तीखी आपत्ति दर्ज की गई और देखते ही देखते सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया।

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जनरल नरवणे की पुस्तक में डोकलाम और कैलाश पर्वतमाला से जुड़े ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो सरकार के आधिकारिक बयानों से अलग तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक के अनुसार चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे और कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थिति बेहद संवेदनशील बन गई थी। जैसे ही राहुल गांधी ने यह बात कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से खड़े हो गए और कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि जिस पुस्तक का हवाला दिया जा रहा है वह अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, ऐसे में उसके अंशों को सदन में पढ़ना और उसके आधार पर सरकार पर आरोप लगाना संसदीय नियमों के खिलाफ है।

राजनाथ सिंह ने तीखे लहजे में कहा कि किसी अप्रकाशित पुस्तक से उद्धरण देना न तो उचित है और न ही स्वीकार्य। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि यदि वे इस विषय पर बात करना चाहते हैं तो पहले सदन के सामने उस पुस्तक की प्रामाणिकता साबित करें। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर इस तरह के दावे करना बेहद गंभीर विषय है और बिना ठोस प्रमाण के इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के अन्य सांसद भी सक्रिय हो गए और हंगामा और तेज हो गया।

इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, वे एक पत्रिका में छपी रिपोर्ट पर आधारित हैं और जनरल नरवणे ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही है। शाह ने कहा कि कोई भी पत्रिका कुछ भी लिख सकती है, लेकिन संसद में केवल प्रमाणिक और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन अंशों का वे हवाला दे रहे हैं, वे पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और यह नरवणे की किताब से ही लिए गए हैं, लेकिन सरकार ने उस किताब को प्रकाशित होने से रोक रखा है। इस पर अमित शाह ने सवाल उठाया कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, उसे सदन में कैसे उद्धृत किया जा सकता है।

हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार हस्तक्षेप किया और नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अप्रकाशित पुस्तक का जिक्र करने से रोका। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि संसदीय परंपराओं के अनुसार किसी अप्रकाशित सामग्री को सदन के रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद राहुल गांधी ने चीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए अपने आरोपों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे सत्ता पक्ष और अधिक आक्रोशित हो गया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लगातार आपत्ति जताते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सदन में शोरगुल थमने का नाम नहीं ले रहा था।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष की ओर से भी आवाजें उठीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पीकर से अनुरोध किया कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए और उनके भाषण पर पूरी तरह रोक न लगाई जाए। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं हो सका। आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ने हालात को देखते हुए सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया।

जिस पुस्तक को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, वह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी' है। इस किताब में डोकलाम विवाद, गलवान घाटी की झड़पों और उस दौरान हुए राजनीतिक व सैन्य स्तर के फैसलों का उल्लेख किया गया है। बताया जाता है कि इस पुस्तक में तत्कालीन हालात, शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बातचीत और रणनीतिक चुनौतियों का जिक्र है। हालांकि सरकार की अनुमति न मिलने के कारण यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी है। इसी किताब के कुछ अंश और नरवणे के इंटरव्यू को 'द कारवां' पत्रिका ने अपने फरवरी अंक में प्रकाशित किया है, जिसे आधार बनाकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाए।

डोकलाम और गलवान घाटी के विवाद भारत-चीन संबंधों के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से रहे हैं। डोकलाम, जो भारत-चीन-भूटान के त्रिकोणीय क्षेत्र में स्थित है, 2017 में दोनों देशों के बीच लंबे सैन्य गतिरोध का केंद्र बना था, जब चीन ने वहां सड़क निर्माण शुरू किया था। इसके बाद 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। हालांकि हाल के समय में कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों में कुछ नरमी देखने को मिली है, लेकिन संसद में उठे इस ताजा विवाद ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।

कुल मिलाकर, राहुल गांधी द्वारा चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाए जाने के बाद लोकसभा में जो हंगामा हुआ, उसने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कितना गहरा है। यह मामला अब सिर्फ एक किताब या उसके अंशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार की पारदर्शिता, सूचना के अधिकार और संसद में चर्चा की सीमाओं को लेकर भी बड़ा सवाल बनकर उभरा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सदन दोबारा शुरू होने पर इस मुद्दे पर बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है।

जनगणना 2027 में जाति सत्यापन का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर केंद्र को दिया अहम संकेत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में प्रस्तावित जनगणना 2027 और उसमें शामिल की जाने वाली जाति-गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जनगणना जैसे व्यापक और नीति-निर्धारण से जुड़े विषयों पर न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं होती हैं, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि जाति-गणना केवल स्व-घोषणा के आधार पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और सत्यापन योग्य तंत्र के जरिए होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और जनगणना संचालन निदेशालय से अपेक्षा जताई कि वे याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सुझावों और चिंताओं पर गंभीरता से विचार करें। यह मामला जनहित याचिका के रूप में आकाश गोयल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें जनगणना 2027 के दौरान नागरिकों के जातिगत आंकड़ों को दर्ज

करने, उनके वर्गीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि जाति-गणना अपने आप में एक संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव डालने वाला विषय है, इसलिए इसे केवल नागरिकों की स्व-घोषणा पर छोड़ देना भविष्य में सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर जटिलताएं पैदा कर सकता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि जातिगत आंकड़े अस्थायी नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक नीतियों, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनते हैं, ऐसे में यदि सत्यापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होगी तो गलत या अप्रामाणिक जानकारी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य जाति-गणना का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक और भरोसेमंद हो। उन्होंने दलील दी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बारे में गलत जानकारी देता है और उसका कोई सत्यापन तंत्र मौजूद नहीं है, तो न केवल आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे, बल्कि इससे सामाजिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। वकील ने यह भी कहा कि सरकार ने अब तक यह सार्वजनिक नहीं किया है कि जातिगत आंकड़ों को दर्ज करने के लिए कौन-सी प्रश्नावली होगी, वर्गीकरण का आधार क्या होगा और सत्यापन की प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी।

पीठ ने इन चिंताओं को "प्रासंगिक" मानते हुए स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह विषय जनगणना अधिनियम 1958 के तहत प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों के दायरे में आता है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा, क्योंकि जनगणना की रूपरेखा तय करना और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सैद्धांतिक रूप से यह टिप्पणी की कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रमाण पत्र या जानकारी के आधार पर किसी श्रेणी में शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध या असत्यापित हो। इस टिप्पणी को जाति-गणना की प्रक्रिया के संदर्भ में एक अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

बलूचिस्तान में सबसे भीषण संघर्ष, 145 विद्रोही ढेर भारत पर आरोपों को नई दिल्ली ने सिरे से नकारा

(जीएनएस)। क्वेटा से सामने आई खबरों ने पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की भयावह तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। पिछले कुछ वर्षों में यह इलाका हिंसा और विद्रोह का गढ़ बना रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम को अब तक का सबसे घातक संघर्ष बताया जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, समन्वित और सुनियोजित हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने 40 घंटे तक चले अभियान में 145 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया, जबकि इस दौरान 45 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई। कुल मृतकों की संख्या 190 के पार बताई जा रही है, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने रविवार को क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को शुरू हुए इन हमलों ने पूरे प्रांत को हिला कर रख दिया। सुरक्षा एजेंसियों को हालात संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और सेना को कमान संभालनी पड़ी। बुगती के

अनुसार, शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे चुनौतीपूर्ण रहे, जब विद्रोहियों ने एक साथ कई इलाकों को निशाना बनाया और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कब्जे की कोशिश की। उन्होंने इसे हालिया इतिहास का सबसे घातक और संगठित हमला करार दिया। सरकारी दावों के मुताबिक, 31 जनवरी को ही 92 विद्रोही मारे गए थे, जबकि बाद की कार्रवाई में यह आंकड़ा बढ़कर 145 तक पहुंच गया। इस हिंसा में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत की पुष्टि की गई है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि विद्रोहियों ने शहरों और संवेदनशील इलाकों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।

इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक साथ क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग, नुश्की, दलबांदिन, पंजगुर, तुंप और पसनी समेत 12 से अधिक जिलों में हिंसक वारदातों को अंजाम दिया। पूरे प्रांत में दहशत का माहौल बन गया। लोग घरों में कैद हो गए, बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालात इतने खराब हो गए कि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं। रेल सेवाएं निलंबित कर दी गईं और प्रशासन ने आपात व्यवस्था लागू कर दी। BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने 'हेरोफ' या 'काला तूफान' नाम से एक व्यापक अभियान चलाया है, जिसका मकसद सुरक्षा बलों को निशाना बनाना और राज्य की पकड़ को कमजोर करना था। संगठन के बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई बलूच जनता पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इसे सीधे-सीधे आतंकवादी हमला करार दिया है।

इस बीच, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए गए। पाकिस्तानी सेना और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इन हमलों के पीछे भारत का समर्थन था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। उनके बयान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया हलकों में भारत पर आरोपों की गूंज तेज हो गई। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और उसकी पुरानी आदत का हिस्सा हैं।

पुणे पोर्शे हादसे की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक, रक्त नमूना छेड़छाड़ मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत

(जीएनएस)। पुणे पोर्शे कार हादसा मामला, जिसने मई 2024 में पूरे देश को झकझोर दिया था, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के रक्त नमूनों से कथित छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने करीब 18 महीने से हिरासत में चल रहे आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को सशर्त राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर इसे तुरंत रद्द किया जा सकता है।

यह मामला केवल एक सड़क दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून, नैतिकता और प्रभावशाली लोगों के लिए न्याय व्यवस्था के अलग-अलग मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता रहा है। 19 मई 2024 की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने बाइक सवार एक युवा इंजीनियर दंपती को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार एक नाबालिग चला रहा था, और शुरुआती कार्रवाई में उसे केवल निबंध लिखने जैसी प्रतीकात्मक सजा मिलने पर देशभर में आक्रोश फैल गया था। बाद में जनदबाव के चलते मामले की जांच आगे बढ़ी और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि नाबालिग आरोपी के शराब या नशे में होने से जुड़े सबूतों को कमजोर करने के लिए उसके रक्त नमूनों के

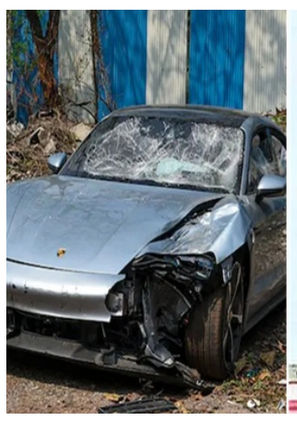

साथ छेड़छाड़ की गई। इसी सिलसिले में आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, आशीष मित्तल मुख्य आरोपी के पिता का करीबी मित्र है, जबकि आदित्य सूद उस युवक का पिता है जो हादसे के वक्त कार की पिछली सीट पर बैठा था। संतोष गायकवाड़ पर आरोप है कि उसने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए रक्त परीक्षण में हेराफेरी कराने के लिए आरोपी के परिजनों से करीब तीन लाख रुपये की रिश्वत ली थी।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इन तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी आर्थिक रूप से संपन्न हैं और यदि उन्हें रिहा किया गया तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखा गया।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि तीनों आरोपी पिछले 18 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए मुकदमे के शीघ्र निपटारे की संभावना कम दिखाई देती है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कार की पिछली सीट पर बैठे नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं है और मुख्य दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ अधिकतम सजा तीन साल की है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है, जहां कानून का उद्देश्य दंड से ज्यादा सुधार पर केंद्रित होता है।

पीठ ने यह भी कहा कि लंबे समय तक विचाराधीन कैद में रखना न्यायसंगत नहीं है, खासकर तब जब आरोपियों के खिलाफ अंतिम सजा की सीमा अपेक्षाकृत कम हो। अदालत ने निचली अदालत द्वारा तय की जाने वाली शर्तों पर जमानत देने का निर्देश दिया और यह साफ किया कि यदि किसी भी स्तर पर शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है।

पुणे पोर्शे मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया था क्योंकि इसमें एक नाबालिग, प्रभावशाली परिवार, महंगी कार और सिस्टम से कथित छेड़छाड़ जैसे कई पहलू जुड़े हुए थे। शुरुआती चरण में जिस तरह से नाबालिग को राहत मिली, उसने आम लोगों के मन में यह धारणा मजबूत की कि कानून अमीर और ताकतवर लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। बाद में जब जमानत रद्द हुई और जांच का दायरा बढ़ा, तो उम्मीद जगी कि मामले में निष्पक्षता बरती जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक पक्ष इसे कानून के सिद्धांतों के अनुरूप मान रहा है, जहां लंबी विचाराधीन कैद को गलत ठहराया गया है, वहीं दूसरा पक्ष इसे पीड़ित परिवार के लिए एक और झटका बता रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि निचली अदालत में यह मामला किस गति से आगे बढ़ता है और क्या दोषियों को अंततः सख्त सजा मिल पाती है या नहीं।

फिलहाल, यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की उस जटिल सच्चाई को सामने लाता है, जहां कानून, प्रक्रिया और जनभावनाओं के बीच संतुलन साधना अक्सर चुनौती बन जाता है।

संपादकीय

आत्मनिर्भरता हेतु विकास

राजग सरकार द्वारा रविवार को पेश किया गया आम बजट 2026-27 कई अर्थों में न केवल आर्थिक दस्तावेज रहा, बल्कि राजनीतिक संकेतों, सामाजिक संदेशों और भविष्य की दिशा को रेखांकित करने वाला विज़न स्टेटमेंट भी साबित हुआ। लगातार नौवीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांजीवरम साड़ी में संसद पहुंचना सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उस नारी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सरकार बार-बार देश की विकास यात्रा का अहम स्तंभ बताती रही है। तमिलनाडु की पारंपरिक पहचान से जुड़ी यह साड़ी जहां दक्षिण भारत के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव दर्शाती है, वहीं यह संदेश भी देती है कि विविधताओं से भरा भारत एक साझा विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को तीन शब्दों—स्किल, स्केल और सस्टेनबिलिटी—में समेटकर इसकी मूल आत्मा को परिभाषित किया। यह कथन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। स्किल का अर्थ है युवाओं को भविष्य के अनुरूप सक्षम बनाना, स्केल का मतलब है योजनाओं और उद्योगों को बड़े स्तर पर ले जाना और सस्टेनबिलिटी का आशय है विकास को पर्यावरण और संसाधनों के संतुलन के साथ आगे बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विकास और आत्मनिर्भरता का बजट बताया, जबकि विपक्ष ने हमेशा की तरह आम आदमी के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। सच यह है कि हर बजट में आम आदमी की सबसे पहली जिज्ञासा यही होती है कि क्या सस्ता होगा और कहां उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बजट में सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को राहत देती हैं। माइक्रोवेव ओवन, सोलर पैनल, चमड़ा उत्पाद और 17 दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए राहत भरी है। खास तौर पर सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को सस्ता करना सामाजिक सरोकार का परिचायक माना जा सकता है, क्योंकि ऐसी बीमारियों के इलाज का खर्च अक्सर परिवारों को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। इसके उलट शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कर बढ़ाने की परंपरा इस बार भी जारी रही, जिससे सरकार ने स्वास्थ्य और राजस्व—दोनों मोर्चों पर संतुलन साधने की कोशिश की है। शिक्षा और वैश्विक अवसरों की बात करें तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भेजे जाने वाले धन पर टीसीएस में कमी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं। साथ ही विदेश यात्रा पैकेज पर दी गई छूट पर्यटन उद्योग को गति देने के साथ-साथ मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को भी संबोधित करती है। यह स्पष्ट है कि सरकार वैश्विक संपर्क और भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने की दिशा में भी सोच रही है।

बजट का एक अहम राजनीतिक पहलू उन राज्यों से जुड़ा है, जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दुर्लभ रेयर अर्थ तत्वों पर केंद्रित 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाने का लक्ष्य, जिसमें तमिलनाडु और केरल की अहम भूमिका होगी, न केवल औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इन क्षेत्रों में मछुआरों और नारियल उत्पादकों को दी गई प्रोत्साहन योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था और परंपरागत आजीविका को सहारा देने की कोशिश हैं। हालांकि शेयर बाजार की प्रतिक्रिया पूरी तरह सकारात्मक नहीं रही। एसटीटी बढ़ाने के फैसले से निवेशकों में निराशा दिखी और बाजार ने बजट के तुरंत बाद नकारात्मक रुख अपनाया। यह दर्शाता है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन और राजस्व बढ़ाने को प्राथमिकता दी है, भले ही अल्पकाल में बाजार की भावनाओं पर इसका असर पड़ा हो। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट में बड़े दांव खेले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। चीन-प्लस-वन रणनीति के दौर में यह निवेश भारत के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इसी तरह सस्ती दवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'बायोफार्मा शक्ति योजना' के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता और सुलभ बनाना न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ को भी कम करेगा।

अमिताव घोष के सृजन में कल्पना और सच का जादुई मिश्रण

> "लेखक अमिताव घोष की नवीनतम पुस्तक 'घोस्ट आई' दिखावे से परे असीम प्रेम की गाथा है। वे ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश करते हैं, पूर्व जन्मों को, इंसानों और गैर-इंसानों को भी। उनके लेखन की खासियत है कि वे सच और परिकल्पना को एक जादुई मिश्रण में ढाल देते हैं और उसे अपना बना लेते हैं।

मेधावी लेखक अमिताव घोष इन दिनों अपनी नई किताब 'घोस्ट आई' के प्रचार लिए अपनी मातृभूमि में यात्रा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-कश्मीर के आस-पास भी कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में साहित्य-सम्मेलनों की भरमार के बावजूद -जिसमें चंडीगढ़ में होने वाले दो सम्मेलन भी शामिल हैं, और दोनों में ध्यान ज़्यादातर इस बात पर केंद्रित रहता है कि वहां आपने किस-किस हस्ती को देखा बजाय इसके कि आपने यह वाली किताब पढ़ी है या नहीं – देश के इन हिस्सों में पाठकों का बाज़ार ज़्यादा बड़ा नहीं है। (किताबों से जुड़े लोग भी इस बारे में जानते हैं)।

तो यहां अमिताव घोष के बारे में पहलू यह है - शायद वे उन सबसे ज्यादा गैर-मिलनसार लोगों में एक हैं जिनसे आपकी भेंट हुई होगी। वह रूखे हैं, यहां तक कि चिड़चिड़े भी। पिछली एक किताब की बाबत एक इंटरव्यू में, उन्होंने पुस्तक के बारे में बात ही करने से मना कर दिया था। दशकों पहले मैं उनके पूर्व प्रकाशक रवि दयाल की ओर से उन्हें भेजी गईं कुछ किताबों का बंडल, जो सिर्फ़ दक्षिण एशिया में छपी थीं, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क ले कर गई थी - कई ईमेल के बाद हम एक कॉफ़ी शॉप में मिले और मैंने सोचा, वाह, यहां मुझे इस मूर्धन्यता के पीछे के इंसान को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन वह शख्स अंदर आये, मुझसे किताबें लीं, हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, मुड़े और चला गये। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी कॉफ़ी के लिए कई डॉलर ज़्यादा ही खर्च कर डाले, जो पीने में न तो गर्म थी और न ही स्वादिष्ट।

बहरहाल, अगर आप जब उनका काम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत आपको 'द ग्लास पैलेस' से करनी चाहिए, एक ऐसी कहानी जो ताउम्र आपके याद रहेगी, कथानक भारत और बर्मा के बारे में है, मुश्किलों और यातनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो महान राजा थिबाव की मुसीबतों से संबंधित है, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके प्यारे मांडले से निकालकर महाराष्ट्र के तट पर रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया था, जहां पर 1916 में उनकी मृत्यु एकाकीपन में हुई – सनद रहे, अंग्रेजों ने 1857 के असफल विद्रोह के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को भी रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर 1862 में वे अपने अंतिम समय तक रहे। इन दिनों, जब चीज़ें बिखर रही हैं, तब हम भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी म्यांमार के बीच रहे गहरे रिश्तों को भुला देते हैं। 2000 में जब अमिताव ने 'ग्लास पैलेस' लिखी और इतिहास की किताबों से इतिहास के नाटकीय पन्नों को फिर से सामने लाये, तब आप साफ तौर पर देखते कि भारत और बर्मा, दोनों देश जब ब्रिटिश राज का हिस्सा बने, अंग्रेजों ने किस प्रकार दो राजवंशों का निष्ठुरता से विनाश किया, 1935 में बर्मा के एक आज़ाद देश बनने तक, भारतीय रेलवे कोलकाता को रंगून-यांगून से जोड़ती थी और लोग बिना किसी भय या सीमा, पासपोर्ट या वीज़ा जैसी चीज़ों की अनिवार्यता बगैर एक से दूसरी जगह आते-जाते थे, काम करते थे, शादी करते थे, संतान पैदा करते थे, ठीक वैसे ही जैसा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और होता था; कि दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा न केवल यूरोप और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में लड़ा गया बल्कि बर्मा और मलाया भी रणक्षेत्र रहा, जिसको अब दक्षिण-पूर्व एशिया कहते हैं; और यह कि भारतीय सैनिक हर जगह लड़े, पूर्व व पश्चिम में, करीब 25 लाख सैनिक, जिनमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 87,000 योद्धा मारे गए- एक ऐसे देश या गठबंधन की ओर से लड़ते हुए जो उनका अपना था भी नहीं।

अमिताव घोष की यही खासियत है कि वे सच और परिकल्पना को एक जादुई मिश्रण में ढाल देते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। इसलिए जब बीते हफ़्ते यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर चीन गए और आपने उनकी शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें देखीं, तो आपका दिमाग ज़रूर अमिताव की 'इबिस ट्रिलॉजी' की तरफ गया होगा। बेशक, प्यार तो उन अनजानी जगहों पर भी पनप सकता है जिसके बारे में कभी सोचा न हो, क्योंकि लोगों की जीवनधारा रूपी नाटक का भव्य मंचन महाद्वीपीय सीमाओं से परे भी होता रहता है, जिसमें युद्ध, व्यापार और वह अंतिम चीज़, अफीम भी शामिल है।

'रिवर ऑफ़ स्मोक' बताती है कि क्यों कई चीनी इतिहासकारों का मानना है कि वर्ष 1839 ने 'अपमान की सदी' की शुरुआत की, जो अफीम युद्धों से शुरू हुई और 1949 में खत्म हुई जब माओ ने अपने असंगठित योद्धाओं के समूह का नेतृत्व करते हुए बीजिंग के बीचों-बीच स्थित 'मध्य राजशाही' (चीन का एक अन्य नाम) का तख़्तापलट कर दिया था। एक कहानी जो 'सी ऑफ़ पॉपीज़' नामक शीर्षक से शुरू होती है, उसका संबंध पूर्वांचल में गंगा के किनारे गाजीपुर में बनी अफीम फैक्ट्री और दुनिया भर में भारतीयों के बंधुआ मज़दूर के रूप में प्रवास से जोड़कर देखें। अफीम, इसका लाभदायक व्यापार, साम्राज्य बनाने और राष्ट्रवाद को कुचलने, दोनों में इसकी भूमिका, 'रिवर ऑफ़ स्मोक' और 'फ्लड ऑफ़ फायर' में कहानी का विषय हैं।

'द शैडो लाइन्स' के नए संस्करण शायद आजकल छप नहीं रहे – हालांकि, जिस गति से आज की तारीख में बांग्लादेश की राजनीति बदल रही है, उसे देखते हुए आप शायद नजदीकी लाइब्रेरी में वापस जाकर इसे ढूंढ़ना चाहें। अब बात करते हैं। अब सीधे 'गन आइलैंड' पर आते हैं, जो मकड़ियों, आप्रवासन और पर्यावरण आपदाओं को लेकर बुनी एक शानदार फंतासी है, जोकि वेनिस, कोलकाता और सुंदरबन के बीच घूमती रहती है। नागों की देवी, मनसा देवी की गाथा सबसे पहले यहीं प्रकट होती है। 'द हंग्री टाइड' कहानी कुछ ज़्यादा ही भाषणबाजी किस्म की लगी, जो पर्यावरणीय बदलावों से बने संकटों को लेकर ज्यादा प्रयास न करने पर हमें डांटती है। 'घोस्ट आई' की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पर 'गन आइलैंड' खत्म हुई थी। यहां तक कि कई किरदारों के नाम भी एक जैसे हैं। मनसा देवी कहानी के केंद्र में बनी रहती हैं। जैसे-जैसे सच गल्प से टकराता है, अमिताव घोष ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश करते हैं, पूर्व जन्मों को, इंसानों और गैर-इंसानों, और सब कुछ विज्ञान और पौराणिक कथाओं की हांडी में डाल कर पकाते हैं। कहानियों के संग्रह 'कथासरितसागर' के सागर मंथन में कहानी 'घोस्ट आई' सबसे ऊपर उभरती है, जो असीम, दिखावा रहित प्यार की कहानी है।

चंडीगढ़ से सटे, पंचकूला में भी, माता मनसा देवी का एक मंदिर है, जिन्हें शक्ति स्वरूप में पूजा जाता है। यह साफ नहीं है कि क्या ये वही मनसा देवी हैं जो 'घोस्ट आई' के केंद्र में नागों की देवी हैं, लेकिन अगर वही हैं, तो शायद घोष के बताए जीवन के नुस्खे पर पुनर्विचार का समय आ गया है, जब वे कार्ल जंग से सहमति जताते हुए उद्धृत करते हैं : 'कुछ भी संयोगवश नहीं होता, महज समकालिकता होती है'। कहने का अभिप्राय है कि जब आप सप्ताहांत में इस उस्ताद लेखक को पढ़ते हैं, तो यह महज पढ़ना भर नहीं रहता, बल्कि यह किताबों, पठन, शिक्षा और सीखने के बीच के संबंध को फिर से जोड़ने का भी समय भी बन जाता है।

यह वह समय भी है जब आप आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। यही वह समय होता है।

प्रेरणा

जीवन की राह में बसा हुआ स्वर्ग और नरक

मनुष्य सदियों से यह प्रश्न पूछता आया है कि स्वर्ग और नरक क्या सच में कहीं अलग लोकों में मौजूद हैं या ये केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं। कोई इन्हें मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार और दंड मानता है, तो कोई इन्हें नैतिक अनुशासन बनाए रखने का साधन समझता है। लेकिन सूफी परंपरा, संत साहित्य और जीवन-दर्शन बार-बार यह संकेत देते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई दूर की अवधारणाएं नहीं, बल्कि मनुष्य के रोज़मर्रा के जीवन, उसके विचारों और कर्मों में ही रचे-बसे हैं। एक सूफी संत से जुड़ी कथा इस सत्य को बहुत गहराई और सरलता से समझाती है।

कहा जाता है कि कुछ लोग एक सूफी संत के पास आए और उनसे जन्नत और दोज़ख़ के बारे में जानना चाहा। उनके मन में उत्सुकता थी कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक का रूप क्या है। सूफी संत ने उन्हें कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि वे अगले दिन उनके साथ चलें। संत का यह तरीका लोगों को अचरज में डालने वाला था, लेकिन वे सहमत हो गए। अगले दिन संत ने उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले जाकर जीवन के तीन रूप दिखाए, जिनमें स्वर्ग और नरक की सच्ची तस्वीर छिपी हुई थी।

सबसे पहले वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे, जो शिकार का धंधा करता था। उसके चारों ओर मारे गए जानवरों के अवशेष थे। उसकी आंखों में कठोरता, मन में लालच और व्यवहार में निर्दयता साफ झलक रही थी। वह जीवन को केवल अपने स्वार्थ और लाभ के नजरिये से देखता था। सूफी संत ने उस दृश्य को दिखाते हुए कहा कि यह नरक का पहला रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन के प्रति संवेदनहीन हो जाता है, जो हिंसा को अपना साधन बना लेता है, उसके लिए यह संसार भी नरक बन जाता है। भले ही उसके पास धन या शक्ति हो, लेकिन भीतर का डर, असंतोष और क्रूरता उसे चैन से जीने नहीं देती। इसके बाद संत उन लोगों को एक निर्जन वन में ले गए, जहां एक फ़क़ीर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, न सांसारिक सुविधाएं। फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। वह सीमित आवश्यकताओं में जीता था, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था और अपना अधिकांश समय आत्मचिंतन और ईश्वर-स्मरण में लगाता था। सूफी संत ने बताया कि यह वह व्यक्ति है जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। उसने आज के तात्कालिक सुखों का त्याग करके भीतर की शांति को चुना है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि उसका मन किसी अभाव से ग्रस्त नहीं होता।

अंत में सूफी संत उन लोगों को एक साधारण गृहस्थ के घर ले गए। वह कोई संत या तपस्वी नहीं था, बल्कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके घर में सादगी थी, आपसी प्रेम था, परिश्रम से कमाया गया अन्न था और जरूरतमंदों की मदद करने का भाव था। वहां न दिखावा था, न लालच, न भय। सूफी संत ने कहा कि यही वह जीवन है जिसमें स्वर्ग और नरक दोनों का रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति संतुलन, मेहनत, प्रेम और दान के साथ जीवन जीता है, उसके लिए यह धरती भी स्वर्ग है और मृत्यु के बाद भी उसे स्वर्ग ही मिलता है।

इस कथा का सार आज के युग में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य ने सुख को केवल भौतिक वस्तुओं से जोड़ लिया है। अधिक धन, अधिक सुविधाएं और अधिक प्रतिष्ठा पाने की दौड़ ने उसे भीतर से अशांत बना दिया है। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और भय ने रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। बाहरी रूप से संपन्न दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से खाली और बेचैन है। यही वह स्थिति है, जिसे सूफी संत जीवित नरक कहते हैं।

इसके विपरीत जो लोग सीमित संसाधनों में भी संतोष, करुणा और प्रेम के साथ जीना जानते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। उनके लिए जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक सहज यात्रा बन जाता है। सूफी दर्शन यही सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की अवस्था में है। जब मन शांत होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति स्वर्ग का अनुभव करता है।

सूफी संतों ने हमेशा कर्मकांड से अधिक इंसानियत पर जोर दिया है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा और करुणा से होकर जाता है। जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है और किसी जरूरतमंद का हाथ थामता है, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। ऐसा जीवन न केवल समाज को सुंदर बनाता है, बल्कि स्वयं व्यक्ति के लिए भी आनंद और संतोष का स्रोत बन जाता है।

आज जब समाज में हिंसा, असहिष्णुता और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, तब यह कथा हमें आत्ममंथन का अवसर देती है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम इच्छाओं के गुलाम बनकर जीवन की शांति खो चुके हैं? या फिर हम संतुलित, सादा और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं?

स्वर्ग और नरक का निर्णय किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। यदि मन में क्रोध, घृणा और लालच है, तो संसार भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। यदि मन में करुणा, संतोष और प्रेम है, तो वही संसार सुंदर और अर्थपूर्ण लगने लगेगा।

अंततः यह समझना जरूरी है कि स्वर्ग और नरक कोई भविष्य की प्रतीक्षा करने वाली अवस्थाएं नहीं हैं। वे यहीं और अभी मौजूद हैं। हर दिन, हर पल हमारे सामने चुनाव होता है—हम अपने कर्मों से स्वर्ग रचें या नरक। सूफी संत की यह सीख हमें याद दिलाती है कि सच्चा स्वर्ग दूसरों को सुख देने में है और सच्चा नरक दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में। जो इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए धरती ही जन्नत बन जाती है।

UGC विवाद: ऐतिहासिक फैसला करने का समय आ गया है

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर फिलहाल रोक तो लगा दिया है लेकिन इसके बावजूद यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ अगड़ी जातियों के लोग सड़कों पर थे और अब इसके समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। विवाद चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, यह तनाव लाता है और समाज की शांति को भंग करता है। इसलिए विवाद को टालने की बजाय हमेशा स्थाई समाधान को तलाशने के लिए काम करना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो यूजीसी नियमों पर मचे घमासान या यूं कहें कि ताजा विवाद ने दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है और हम अगर इस बार चूक गए तो फिर आने वाले कई दशकों तक यह विवाद देश और समाज की शांति को भंग करता रहेगा।

सामान्य भाषा में कहे तो हमारे देश के संविधान ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हो। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत तो यही रहा है कि 'सौ दोषी भले छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।" यह सिद्धांत हमें स्पष्ट तौर पर बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर पूरे समाज के भरोसे को बरकरार रखने के लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी हालत में वर्ष, महीने, दिन और घंटे तो छोड़िए, एक सेकंड के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इस कसौटी पर रखकर जब यूजीसी के नियमों को तौला जाता है तो यह साफ-साफ नज़र आता है कि यूजीसी ने अपने नियम के जरिए भारत के लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत को ही कुचलने की तैयारी कर ली थी। कई लोग यह तर्क भी देते हुए नजर आए कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। कुछ लोगों ने कई अन्य कानूनों के दुरुपयोग का उदाहरण दिया तो कुछ लोगों ने हज़ार वर्षों के शोषण का जिक्र करते हुए इसे सही ठहराया।

हालांकि भारत के लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह मामला सिर्फ अगड़ा बनाम पिछड़ा भर का नहीं रह गया है और इसे रहना भी नहीं चाहिए। आज़ादी के 75 वर्षों बाद अब यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हमारी व्यवस्था कानून का पालन करने वाले निर्दोष लोगों के साथ न्याय कर पा रही है। यह आपको अजीब लगेगा लेकिन सही मायनों में अब हमें इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए कि आखिर बिना किसी सजा के लोगों को दिन, महीने, साल ही नहीं दशकों तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून, दहेज, महिला उत्पीड़न सहित उन तमाम कानूनों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है जो पुलिस को बिना किसी जांच के गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं।

एक लोकतांत्रिक देश में बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग हज़ारों वर्षों के शोषण की याद दिलाते हैं,उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके स्तर को उठाने और भेदभाव खत्म करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और देश का अगड़ा वर्ग भी पिछले कई दशकों से इसे स्वीकार कर चुका है। लेकिन किसी को भी इतना अधिकार तो नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी और जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को बिना मतलब कानूनी विवाद में उलझा दें अथवा जेल भिजवा दें।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि, लोग ना जाने क्यों इस तथ्य को भी भुला देते हैं कि हज़ार साल पहले की शासन व्यवस्था चाहे जैसी भी रही हो लेकिन इस देश में पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र है, संसद है, न्यायपालिका है और मीडिया भी है। अगर हज़ार साल पहले ऐसा कुछ हुआ भी होगा जिसका दावा आमतौर पर किया जाता है तो क्या उसका बदला अब एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश में लेने की इजाज़त दी जा सकती है। यह तो 'आंख के बदले आंख' लेने जैसा नियम लागू हो जाएगा।

वाद-विवाद में तथ्यों और आंकड़ों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लेकिन दुर्भाग्य से आज के माहौल में कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे सब अपना-अपना दायरा पहले ही तय कर चुके हैं और कोई भी इससे आगे जाना ही नहीं चाहता।

शोषण कौन कर रहा है और शोषण किसका हो रहा है, यह तो किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के परसेप्शन के आधार पर तय नहीं हो सकता, इसकी गवाही तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ें ही दे सकते हैं और जैसे ही आप आंकड़ों को सामने रखते हैं तो सारी कहानी ही पलटी हुई नजर आती है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि बार-बार आबादी के बहाने इस विवाद को सुलगाने की कोशिश करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो फिर संविधान निर्माताओं की भावना का सम्मान करते हुए ऐसे लोगों को जिनकी आबादी कम है, उन्हें तो कई तरह के विशेषाधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए , इस विवाद को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करना अब बहुत जरूरी हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बार-बार आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का दावा कर रही है तो क्या एक विकसित भारत में भी हमारा देश अतीत की गठरी लेकर ही प्रवेश करेगा? इस सवाल का जवाब अब तो ढूंढ ही लेना चाहिए।

अभियान

महाशिव की विराट लीला: बिहार की पावन भूमि पर अवतरित हुआ विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग

सनातन धर्म की परंपरा में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो केवल एक आयोजन या समाचार बनकर नहीं रह जाते, बल्कि युगों-युगों तक श्रद्धा, आस्था और चेतना के रूप में जीवित रहते हैं। 17 जनवरी 2026 का दिन भी ऐसा ही एक दिव्य और ऐतिहासिक अवसर बन गया, जब बिहार की पवित्र धरती पर भगवान शिव की महाकृपा साकार रूप में प्रकट हुई। चकिया–केसरिया पथ पर कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना ने पूरे भारतवर्ष को भक्ति, गर्व और आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। यह केवल एक विशाल पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि करोड़ों शिवभक्तों की आस्था, साधना और विश्वास का मूर्त रूप है।

भगवान शिव को देवों के देव, महादेव, भोलेनाथ और आदियोगी कहा जाता है। वे सृष्टि के आरंभ, पालन और संहार—तीनों के साक्षी हैं। उनके स्वरूप में वैराग्य भी है और वात्सल्य भी, रौद्रता भी है और करुणा भी। शिवलिंग स्वयं में ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है—निराकार से साकार की यात्रा, जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे में जब बिहार की भूमि पर 210 टन वजनी, 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ, तो यह मानो स्वयं महादेव का विराट आशीर्वाद हो।

यह पावन अवसर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आया, जिसे मासिक शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। यह वह रात्रि है, जब साधक शिव तत्व से जुड़कर आत्मशुद्धि और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। ज्योतिषियों के अनुसार, माघ कृष्ण चतुर्दशी पर शिवलिंग की स्थापना अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। इस तिथि पर किया गया शिवाभिषेक और शिवपूजन कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है।

इस दिव्य आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण काल में संपन्न हुआ। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि उत्तरायण काल में किए गए धर्म, दान, तप और पूजन का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। 17 जनवरी 2026 को मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का शुभ संयोग भी बना, जिसने इस स्थापना को और अधिक दिव्य बना दिया। यह ऐसा दुर्लभ योग था, जिसमें शिवतत्व की ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित मानी जाती है।

विराट रामायण मंदिर में स्थापित यह शिवलिंग अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में अद्वितीय है। इसकी ऊंचाई 33 फीट और चौड़ाई भी 33 फीट है, जो त्रिदेव और त्रिकाल के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। इसका कुल वजन लगभग 210 टन है, जो इसे विश्व का सबसे भारी और विशाल शिवलिंग बनाता है। इस शिवलिंग के भीतर 1008 छोटे शिवलिंग समाहित हैं। संख्या 1008 स्वयं में अत्यंत पवित्र मानी जाती है—यह पूर्णता, अनंतता और ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन 1008 शिवलिंगों के दर्शन मात्र से सहस्र गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की आधार पीठ भी अत्यंत भव्य और सुदृढ़ है। इसकी प्रारंभिक लंबाई 36 फीट है, जो स्थापना के बाद 56 फीट के विराट स्वरूप में परिवर्तित होगी। केवल आधार पीठ को तैयार करने में ही लगभग दो वर्षों का समय लगा, जो इस निर्माण की गंभीरता, साधना और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। यह कोई साधारण निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि इसे एक तपस्या के रूप में पूरा किया गया।

इस दिव्य शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ, जो सदियों से शिल्पकला और मंदिर निर्माण की पवित्र भूमि रही है। महाबलीपुरम के कुशल शिल्पकारों ने अपनी पीढ़ियों की परंपरा, अनुभव और भक्ति को इस शिवलिंग में उतार दिया। हर प्रहार में मंत्र, हर आकार में श्रद्धा और हर रेखा में साधना समाहित है। 47 दिनों की लंबी यात्रा के बाद यह शिवलिंग कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर पहुंचा। इस यात्रा के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में शिवभक्तों ने पुष्पवर्षा, भजन-कीर्तन और आरती के साथ महादेव का स्वागत किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच भ्रमण कर रहे हों।

शिवलिंग की स्थापना के अवसर पर विराट रामायण मंदिर परिसर भक्ति के महासागर में डूब गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दूर से यहां पहुंचे। "हर हर महादेव", "ॐ नमः शिवाय" और "बोल बम" के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। भव्य अभिषेक की तैयारियां की गईं, जिसमें गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से महादेव का अभिषेक किया गया। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और मन श्रद्धा से भर उठा।

सनातन परंपरा में माना जाता है कि जहां शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां स्वयं कैलाश की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। शिवलिंग ध्यान, साधना और आत्मबोध का केंद्र होता है। जब कोई भक्त शिवलिंग के सामने बैठकर "ॐ नमः शिवाय" का जाप करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे शांत होकर शिवतत्व से जुड़ने लगता है। ऐसे में इस विराट शिवलिंग के दर्शन और पूजन से साधकों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होगी।

विराट रामायण मंदिर पहले से ही आस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। अब इस विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के बाद यह स्थल केवल बिहार या भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विश्वभर के शिवभक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ बनकर उभरेगा। यहां राम और शिव—दोनों की चेतना एक साथ प्रतिष्ठित है। राम मर्यादा, धर्म और आदर्श के प्रतीक हैं, जबकि शिव वैराग्य, तप और करुणा के। जब ये दोनों तत्व एक ही भूमि पर एकत्र होते हैं, तो वह स्थान स्वयं मोक्षदायिनी भूमि बन जाता है।

भक्ति की दृष्टि से यह आयोजन हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक श्रद्धा भी आवश्यक है। जब समाज के विभिन्न वर्ग—शिल्पकार, साधु-संत, आयोजक और साधारण श्रद्धालु—एक दिव्य उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तब ऐसा कार्य संभव होता है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। यह शिवलिंग केवल आज का नहीं, बल्कि भविष्य की आध्यात्मिक धरोहर है।

भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें न सोना चाहिए, न चांदी, न भव्यता। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न कर देती है। फिर भी जब भक्तों की भावना विराट होती है, तो उसका स्वरूप भी विराट हो जाता है। बिहार की धरती पर यह शिवलिंग इसी विराट भक्ति का प्रमाण है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 17 जनवरी 2026 सनातन चेतना के पुनर्जागरण का दिन है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग आने वाले युगों तक यह संदेश देता रहेगा कि महादेव केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं, जहां श्रद्धा, समर्पण और प्रेम है। जो भी भक्त यहां आएगा, वह केवल शिवलिंग के दर्शन नहीं करेगा, बल्कि अपने भीतर बसे शिव को भी अनुभव करेगा। यही शिव की सच्ची कृपा है, यही भक्ति का परम फल है—हर हर महादेव।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मृत महिला के नाम पर एफआईआर ज़िंदा सिस्टम या मृत संवेदना?

(जीएनएस)। राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया यह मामला किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, लेकिन फर्क बस इतना है कि यह कहानी हकीकत की है और इसके केंद्र में खड़ी है पुलिस व्यवस्था की वह लापरवाही, जो कागजों में ज़िंदा और ज़मीन पर सवालों के घेरे में है। धनाऊ थाना क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सिस्टम में नाम लिख देना ही सत्यापन मान लिया जाता है। पूरा मामला बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड क्षेत्र का है, जहां धनाऊ थाने में केवा राम नामक व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर करीब दस लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने एक प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की और बीच-बचाव करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके परिवार के कुछ सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

कागजों पर यह एक सामान्य आपराधिक मामला लग सकता है, लेकिन जैसे ही एफआईआर में दर्ज आरोपियों के नाम सामने आए, पूरा मामला उलट-पुलट हो गया। आरोपियों की सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल था, जिसकी मौत आज से करीब सात साल पहले, यानी वर्ष 2018 में ही हो चुकी थी। सवाल यह नहीं कि गलती हो गई, सवाल यह है कि सात साल पहले मृत महिला वर्ष 2026 में किसी के प्लॉट में घुसकर मारपीट कैसे कर सकती है, जाति सूचक गालियां कैसे दे सकती है और जानलेवा हमला कैसे कर सकती है?

यह खुलासा सामने आते ही बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे। जिस महिला की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार हो चुका, उसके नाम पर एफआईआर दर्ज होना केवल एक तकनीकी चूक नहीं मानी जा सकती। यह उस पूरी सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई की नींव टिकी होती है। एफआईआर किसी भी आपराधिक मामले की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और यदि उसी में मृत व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाए, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाती है।

मृत महिला के परिजनों के लिए यह मामला न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी आहत करने वाला रहा। परिवार का कहना है कि जिस महिला की मौत 2018 में हो चुकी है, उसका नाम अचानक एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी के तौर पर दर्ज कर दिया गया। इससे न केवल मृतक की सामाजिक छवि को ठेस पहुंची, बल्कि परिवार को भी अनावश्यक मानसिक तनाव और अपमान का सामना करना पड़ा। परिजनों ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद धनाऊ पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह दलील दे रही है कि एफआईआर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई और अब तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले बुनियादी जांच और सत्यापन पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसी व्यक्ति की जीवित या मृत होने की स्थिति जांचना इतना मुश्किल काम है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए?

स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आम नागरिक यह पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस मृत व्यक्ति को आरोपी बना सकती है, तो किसी भी आम आदमी के साथ कल को क्या हो सकता है। यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे विभाग की साख पर सीधा हमला बन चुका है। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में पुलिस की लापरवाही को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह की गलती केवल मानवीय भूल कहकर टाली नहीं जा सकती। एफआईआर दर्ज करते समय आरोपी पक्ष की पहचान, उसकी स्थिति और तथ्यों का न्यूनतम सत्यापन आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह न केवल प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि निर्दोष लोगों को कानूनी झंझट में फंसाने का माध्यम भी बन सकता है। मृत व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में कहीं न कहीं गंभीर खामियां हैं।

इस प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था शिकायत दर्ज करने की जल्दी में सत्य की जांच करना भूलती जा रही है। पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में यदि निर्दोष या मृत लोगों को घसीट लिया जाए, तो यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय की एक नई परत बन जाती है। बाड़मेर का यह मामला आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर सकती है।

अब देखना यह होगा कि जांच के नाम पर पुलिस इस गलती को कैसे सुधारती है, मृत महिला के नाम से दर्ज एफआईआर को कैसे दुरुस्त किया जाता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि इस घटना ने राजस्थान पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है और यह सवाल छोड़ दिया है कि कागजों में चलने वाला सिस्टम जमीन की सच्चाई से कितना दूर हो चुका है।

पश्चिम रेलवे का 70वाँ रेल सप्ताह समारोह

महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा 92 कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' (VRSP) से सम्मानित किया गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP) 2025 का आयोजन सोमवार, 02 फरवरी, 2026 को यशवंतराव चव्हाण सभागार, मुंबई में किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे के 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP) प्रदान किए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को सम्मानित करना होता है, जो सदैव चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सक्षम एवं कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से चयनित कर्मियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार न केवल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी आगामी वर्ष में और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती ईशा मलिक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में दिए गए योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम रेलवे अपने सभी कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर सका है। श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे की हाल की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कर्मचारियों से रेलवे तथा राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमुख विभागाध्यक्षों/मंडल रेल प्रबंधकों/मुख्य कारखाना प्रबंधकों को स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' (AVRS) 2025 के उन सात व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी सम्मानित किया, जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय रेल सप्ताह समारोह के दौरान माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था।

सोना-चांदी के वायदाओं में परस्पर विरुद्ध चालः सोना वायदा 4683 रुपये बढ़ा, चांदी वायदा 6148 रुपये घटा

क्रूड ऑयल वायदा में 321 रुपये की गिरावटः कमोडिटी वायदाओं में 107360. करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 150350.31 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 93107.71 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37600 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 257718.39 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 107360. करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 150350.31 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 7068.12 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 93107.71 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 140000 रुपये के भाव पर खूलकर, 146900 रुपये के दिन के उच्च और 133687 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142217 रुपये के पिछले बंद के सामने 4683 रुपये या 3.29 फीसदी की मजबूती के साथ 146900 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 3224 रुपये या 2.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122801 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 401 रुपये या 2.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15414 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 139868 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 146500 रुपये और नीचे में 129685 रुपये पर पहुंचकर, 3590 रुपये या 2.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 146100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 147688 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149900 रुपये और नीचे में 134397 रुपये पर पहुंचकर, 147688 रुपये के पिछले बंद के सामने 2113 रुपये या 1.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 267501 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 267501 रुपये और नीचे में 225805 रुपये पर पहुंचकर, 265652 रुपये के पिछले बंद के सामने 6148 रुपये या 2.31 फीसदी औंधकर 259504 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 14844 रुपये या 5.23 फीसदी की गिरावट के साथ 269200 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 12328 रुपये या 4.38 फीसदी गिरकर 268951 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 10209.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 14.75 रुपये या 1.2 फीसदी बढ़कर 1244.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 7.6 रुपये या 2.38 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 327.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 6.6 रुपये या 2.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 315 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 50 पैसे या 0.26 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 191.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3537.60 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5961 रुपये के भाव पर खूलकर, 5961 रुपये के दिन के उच्च और 5622 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 321 रुपये या 5.37 फीसदी की गिरावट के साथ 5659 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 322 रुपये या 5.38 फीसदी औंधकर 5658 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 388.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 388.7 रुपये और नीचे में 328.5 रुपये पर पहुंचकर, 404.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 72.5 रुपये या 17.91 फीसदी औंधकर 332.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 72.4 रुपये या 17.88 फीसदी औंधकर 332.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 980 रुपये पर खूलकर, 3.8 रुपये या 0.39 फीसदी बढ़कर 982 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 58844.84 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 34262.87 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 8793.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 708.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 65.81 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 629.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1301.56 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2221.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10278 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 88605 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26379 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 353252 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 40544 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9856 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22924 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 66525 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17539 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 15656 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 36147 पॉइंट पर खूलकर, 37600 के उच्च और 34994 के नीचले स्तर को छूकर, 854 पॉइंट घटकर 37600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 203 रुपये की गिरावट के साथ 225.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 37.05 रुपये की गिरावट के साथ 17.6 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2455.5 रुपये की बढ़त के साथ 12355 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3880.5 रुपये की बढ़त के साथ 24562.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2 रुपये की बढ़त के साथ 56 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 357.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 59 पैसे के सुधार के साथ 1.81 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 94.4 रुपये की बढ़त के साथ 255 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.7 रुपये की बढ़त के साथ 17.15 रुपये हुआ। सोना फरवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 198.5 रुपये की बढ़त के साथ 7654.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 284 रुपये की गिरावट के साथ 10399.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.49 रुपये की गिरावट के साथ 52.63 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 297.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.67 रुपये की गिरावट के साथ 3.18 रुपये हुआ।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रूपये का रेल बजट आवंटन

उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

(जीएनएस)। रतलाम 02 फरवरी। माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक बल दिया गया है जिससे रेलवे पर उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2026–27 में भारतीय रेल के लिए 2,93,030 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई गई है। यह भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आवंटन है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 120 हजार करोड़ रूपए का आंवटन किया गया है। माननीय रेलमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 के बजट में 15,188 करोड़ रूपए आवंटन किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। राज्य में 1,18,379 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को रूपये 3,163 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। माननीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात पर जोर दिया। संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेलमार्गों पर स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य तीव्र गति से किये जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 4591 रूट किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेन्टर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते है। यात्री सुविधाओं के विषय में माननीय रेलमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को कवर करते हुए 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। माननीय रेलमंत्री जी ने बताया कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 2,052 किमी लंबा यह कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी समर्पित मालवाहक कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यह पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को सुदृढ़ करेगा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और आपूर्ति शृंखलाओं को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी कहा कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेला को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे द्वारा तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मेला अवधि के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी तथा रेल संचालन एवं यात्री सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट 2026–27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही माननीय रेलमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2026–27 में गुजरात राज्य को 17,366 करोड़ रुपये तथा राजस्थान राज्य को 10,288 करोड़ रुपये का रेल बजट आवंटन किया गया है। चूँकि पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों को सीधे जोड़ता है, अतः इन दोनों राज्यों में रेल अवसंरचना, सेफ्टी एवं यात्री सुविधाओं पर होने वाले विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ रतलाम मंडल को भी मिलेगा। इससे रतलाम मंडल में रेल परियोजनाओं, परिचालन क्षमता तथा यात्री सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

केन्द्रीय बजट 2026–27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

गांधीधाम–आदीपुर रेलखंड पर चौहरीकरण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम–आदीपुर चौहरीकरण (Quadrupling) परियोजना के अंतर्गत गांधीधाम केबिन–आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित प्रस्तावित (TWO) कार्य के कारण 04 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम केबिन और आदीपुर स्टेशनों के बीच चौहरीकरण (Quadrupling) कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौहरीकरण से इस खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही माल एवं यात्री यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को लाभ पहुँचेगा। अहमदाबाद मंडल द्वारा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल भारतीय रेल की आधुनिक, तेज़ और विश्वसनीय रेल सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- 1.ट्रेन संख्या 19405/19406 पालनपुर-गांधीधाम–पालनपुर एक्सप्रेस 05 से 13 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगी।
- 2.ट्रेन संख्या 12966 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 06 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 3.ट्रेन संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 4.ट्रेन संख्या 12959 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस 07 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 5.ट्रेन संख्या 12960 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 6.ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 7.ट्रेन संख्या 22952 गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 8.ट्रेन संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस–गांधीधाम एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 9.ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल 08 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 10.ट्रेन संख्या 09010 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 11.ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 12.ट्रेन संख्या 09012 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।

आंशिक निरस्त ट्रेनें

- 1.ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 4,7 और 8 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 2.ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 5,8 और 9 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 3.ट्रेन संख्या 22955 बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस 5,6 और 9 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 4.ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 6,7 और 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 5.ट्रेन संख्या 14321/14311 बरेली–भुज एक्सप्रेस 4 फरवरी से 09 फरवरी 2026 तक गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 10 और 11 फरवरी 2026 को सामाख्याली और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 6.ट्रेन संख्या 14322/14312 भुज–बरेली एक्सप्रेस 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को भुज-सामाख्याली के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 7.ट्रेन संख्या 22903 बांद्रा टर्मिनस–भुज एसी एक्सप्रेस 4,6 और 8 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 8.ट्रेन संख्या 16336 नागरकोइल–भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 9.ट्रेन संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस एसी एक्सप्रेस 5,7 एवं 9 फरवरी 2026 को भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 फरवरी 2026 को भुज और अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 10.ट्रेन संख्या 94801 अहमदाबाद–भुज नमोभारत एक्सप्रेस 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को ध्रांगध्रा और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 11.ट्रेन संख्या 94802 भुज-अहमदाबाद नमोभारत एक्सप्रेस 6 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 और 13 फरवरी 2026 को भुज और ध्रांगध्रा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 12.ट्रेन संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज एक्सप्रेस 4 और 7 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 13. ट्रेन संख्या 20983 भुज–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 6 और 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 14. ट्रेन संख्या 11092 पुणे-भुज एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 15. ट्रेन संख्या 11091 भुज–पुणे एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 16. ट्रेन संख्या 22483 भगत की कोठी–गांधीधाम एक्सप्रेस 10,11 और 12 फरवरी 2026 को भीलड़ी-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 17. ट्रेन संख्या 22484 गांधीधाम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 11,12 और 13 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भीलड़ी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट : प्रथम मंज़िल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा बिल्डिंग, एम. जी. रोड, राजकोट - 360 001

राजकोट स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा की कालावड रोड स्थित फीजीटल शाखा के लिए फर्निचर, विद्युत और एयरकंडीशनिंग कार्य हेतु निविदा

राजकोट क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कालावड रोड स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा की फीजीटल शाखा के लिए साज-सज्जा, विद्युत एवं एयर कंडीशनिंग कार्य हेतु पक्षकारो से निविदाएं आमंत्रित करता है । इच्छुक पक्षकार निविदाएं दो अलग-अलग सीलबंध लिफाफों में जमा करें, जिन पर 'तकनीकी निविदा' और 'मूल्य निविदा' अंकित हो। निविदाएं 03.02.2026 से 23.02.2026 के बीच क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम मंज़िल, बीओबी भवन, एम. जी. रोड, राजकोट - 360 001 को 23.02.2026 दोपहर 3.00 बजे तक या उससे पहले जमा करनी होंगी।

तकनीकी बोलियां 23.02.2026 को दोपहर 3.30 बजे राजकोट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में खोली जाएंगी। बोलीदाताओं को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

(विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in के निविदा अनुभाग पर लाग इन करें) बैंक बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक : 02.02.2026 — क्षेत्रीय प्रमुख, राजकोट क्षेत्र

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की कानूनी चाल, भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश को ठुकराया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तीखा टकराव सामने आ गया है। पाकिस्तान जहां इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय अदालतों के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस तथाकथित अंतरराष्ट्रीय अदालत के किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने इसे न केवल अवैध बल्कि असंवैधानिक करार देते हुए पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया है।

दरअसल, इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े एक मामले में गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को निर्देश दिया था कि वह अपने प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर की बागलीहार और किशनगंगा परियोजनाओं से संबंधित ऑपरेशन रिकॉर्ड और पोंडेज लॉगबुक अदालत के समक्ष पेश करे। इस आदेश में भारत को 9 फरवरी 2026 तक या तो संबंधित दस्तावेज सौंपने या फिर आदेश का पालन न करने का औपचारिक कारण बताने को कहा गया था। पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन भारत ने इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत का स्पष्ट रुख है कि जिस अदालत ने यह आदेश दिया है, वह वैधानिक रूप से गठित ही नहीं है। भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि के तहत विवाद निपटारे की जो प्रक्रिया तय है, उसका इस अदालत ने उल्लंघन किया है। भारत इस तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को न तो मान्यता देता है और न ही उसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है। ऐसे में उसके किसी भी आदेश का पालन करने का सवाल ही नहीं उठता।

भारत ने यह भी साफ किया है कि सिंधु जल संधि की मौजूदा स्थिति 'अस्थायी रूप से लंबित' है, इसलिए उसके तहत कोई भी बाध्यकारी दायित्व भारत पर लागू नहीं होता। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने औपचारिक रूप से यह घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही सीमापार आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है। भारत का तर्क रहा है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता, जब तक उसके मूल में आपसी भरोसा और शांति का माहौल न हो।

सरकारी स्तर पर यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान एक ओर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जल संधि की दुहाई देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। भारत के अनुसार, सिंधु जल संधि का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत करना था, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों ने इस भावना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए भारत पर संधि उल्लंघन का आरोप लगाया है और जल संसाधनों को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि भारत की परियोजनाएं पाकिस्तान के हिस्से के पानी को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि भारत बार-बार यह स्पष्ट करता रहा है कि उसकी सभी परियोजनाएं सिंधु जल संधि के तकनीकी मानकों के भीतर हैं और उनका उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय विकास है, न कि जल प्रवाह को रोकना।

रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह विवाद अब सिर्फ पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं रह गया है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास, सुरक्षा चिंताओं और कूटनीतिक तनाव का प्रतीक बन चुका है। भारत का यह सख्त रुख यह संकेत देता है कि वह अब केवल तकनीकी या कानूनी बहस में उलझने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से बार-बार अदालतों का सहारा लेना एक तरह से "कोर्ट-कोर्ट खेलने" की रणनीति है, ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा, जो उसके संवैधानिक ढांचे और संप्रभुता के खिलाफ हो।

फिलहाल यह विवाद आने वाले समय में भारत-पाकिस्तान संबंधों पर और असर डाल सकता है। जहां पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने की कोशिश करता रहेगा, वहीं भारत का संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद और भरोसे की कमी के माहौल में किसी भी संधि या अदालत के आदेश को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस टकराव ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति का भी एक बड़ा हथियार बन चुका है।

खामोशी में हुआ कत्ल, सवालों के घेरे में कानून का रिटायर्ड सिपाही

(जीएनएस)। प्रयागराज। जिस घर में कभी कानून की बातें होती थीं, जहां एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की मौजूदगी से मोहल्ले को सुरक्षा का भरोसा मिलता था, उसी घर के एक बंद कमरे में खून से सनी लाश मिलने की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। लालापुर थाना क्षेत्र के चकशिवचेर गांव में सीबीसीआईडी से सेवानिवृत्त दारोगा राम रतन मिश्रा की निर्मम हत्या ने न केवल गांव बल्कि पूरे जनपद में सनसनी फैला दी है। 65 वर्षीय मिश्रा का शव उनके ही घर के कमरे में पड़ा मिला, सिर और चेहरे पर गहरे घाव थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है।

सोमवार की सुबह गांव में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन मिश्रा के घर से कोई हलचल नहीं दिखी। आमतौर पर सुबह जल्दी उठने वाले राम रतन मिश्रा जब काफी देर तक बाहर नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई। पहले आवाज लगाई गई, फिर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। आशंका गहराने पर जब दरवाजा खोला गया, तो सामने का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए। कमरे के फर्श पर खून से लथपथ शव पड़ा था, आसपास खून के छींटे थे और सिर पर किसी भारी वस्तु से किए गए वार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।

खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में लालापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को घेरकर आम लोगों की आवाजाही रोकी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चंद्र यादव स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर खून के नमूने, फर्श पर पड़े निशान, कमरे में मौजूद वस्तुओं की स्थिति और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। हर पहलू को कैमरे में कैद किया गया ताकि बाद में कोई कड़ी छूट न जाए।

राम रतन मिश्रा सीबीसीआईडी में दारोगा के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में ही रह रहे थे। उनकी छवि एक अनुशासित, शांत और कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति की थी। गांव के लोग बताते हैं कि वे कम बोलते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सलाह जरूर देते थे। उनकी हत्या ने लोगों के मन में डर और सवाल दोनों पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया।

प्रारंभिक जांच में परिजनों ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश, विवाद या धमकी से इनकार किया है। परिवार का कहना है कि मिश्रा का जीवन सादा था, किसी से खुला विवाद नहीं था और न ही हाल के दिनों में कोई असामान्य घटना हुई थी। यही वजह है कि पुलिस के लिए यह मामला और भी पेचीदा बन गया है। जब कोई स्पष्ट दुश्मनी सामने नहीं आती, तो हर संबंध, हर मुलाकात और हर गतिविधि को खंगालना पड़ता है।

महंगाई की आहट से ऑटो बाजार में हलचल मारुति सुजुकी ने दिए कीमत बढ़ने के संकेत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के संकेतों के बाद ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर महंगाई की आहट सुनाई देने लगी है। कच्चे माल और जिंसों की बढ़ती कीमतों के दबाव के बीच कंपनी ने साफ किया है कि अगर लागत में हो रही बढ़ोतरी को आंतरिक स्तर पर संभालना मुश्किल हुआ तो आने वाले समय में कारों की कीमतों में संशोधन करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने यह भी दोहराया है कि उसकी प्राथमिकता ग्राहकों पर बोझ को न्यूनतम रखने की रहेगी और हरसंभव प्रयास किया जाएगा कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीमित रहे।

सोमवार को आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने मौजूदा बाजार हालात, बिक्री के आंकड़े और उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हालिया नीतिगत फैसलों, विशेषकर जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है और इसका सीधा असर बुकिंग के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी कुछ व्यावहारिक सीमाओं के कारण कंपनी के पास फिलहाल करीब 1.75 लाख वाहनों का पेंडिंग ऑर्डर है, जिसे पूरा करने में समय लग रहा है। बनर्जी के मुताबिक जनवरी का महीना कंपनी के लिए बेहद खास रहा है। सिर्फ एक महीने में ही 2.78 लाख से अधिक बुकिंग दर्ज की गईं, जो इस बात का संकेत है कि उपभोक्ताओं के बीच नई कार खरीदने का उत्साह लगातार बना हुआ है। रोजाना औसतन 9 से 10 हजार बुकिंग मिल रही हैं, जो किसी भी कार निर्माता के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने कहा कि कंपनी की उत्पादन और आपूर्ति टीमें लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं कि ग्राहकों को समय पर डिलीवरी मिल सके, लेकिन वैश्विक स्तर पर कच्चे माल और कंपोनेंट्स की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव के चलते यह एक चुनौती बना हुआ है। कच्चे माल की लागत को लेकर पूछे गए सवाल पर बनर्जी ने स्वीकार किया कि स्टील, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं समेत कई जरूरी इनपुट की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही ऊर्जा लागत और लॉजिस्टिक्स खर्च भी बढ़े हैं। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता का असर भी इन कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में किसी भी ऑटो निर्माता के लिए लंबे समय तक लागत का पूरा दबाव खुद वहन करना आसान नहीं होता।

इसके बावजूद मारुति सुजुकी का रुख फिलहाल संतुलन बनाए रखने का नजर आता है। कंपनी का कहना है कि वह कीमतें बढ़ाने के विकल्प पर आखिरी कदम के तौर पर ही विचार करेगी। बनर्जी ने बताया कि आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन से जुड़ी टीमें लगातार इस बात का आकलन कर रही हैं कि बढ़ती लागत का कितना हिस्सा कंपनी खुद वहन कर सकती है और कहां आंतरिक दक्षता बढ़ाकर खर्च को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी की पहचान हमेशा से किफायती और भरोसेमंद कारों की रही है और कंपनी नहीं चाहती कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से ग्राहकों का भरोसा कमजोर पड़े।

इसी सोच के तहत कंपनी ने हाल ही में ग्राहकों को राहत देने के लिए 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' शुरू की है। इस योजना के तहत उन ग्राहकों को संभावित मूल्य वृद्धि से बचाने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर ली है लेकिन किसी कारणवश डिलीवरी नहीं हो पाई है। कंपनी का मानना है कि इससे ग्राहकों में भरोसा बना रहेगा और वे खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। बनर्जी ने कहा कि यह कदम ग्राहक-केंद्रित रणनीति का हिस्सा है और आगे भी ऐसे उपायों पर विचार किया जाएगा।

सेल–राइट्स समझौते से रेल लॉजिस्टिक्स को नई रफ्तार, संयंत्रों और खदानों में संचालन होगा अधिक प्रभावी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने संयंत्रों और खनन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत, सुचारु और किफायती बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। इसी कड़ी में सेल ने नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम राइट्स लिमिटेड के साथ डीजल लोकोमोटिव के संचालन और रखरखाव को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार को सेल के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स ढांचे के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही को और अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। इस समझौते का उद्देश्य सेल के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और खदानों में रेल आधारित आंतरिक परिवहन को आधुनिक, कुशल और लागत प्रभावी बनाना है। सेल के विशाल उत्पादन नेटवर्क में रेल लॉजिस्टिक्स की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि लौह अयस्क, कोयला और अन्य कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति तथा तैयार इस्पात की ढुलाई काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में डीजल लोकोमोटिव के बेहतर संचालन और समयबद्ध अनुरक्षण से उत्पादन चक्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह एमओयू सेल की ओर से कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) पी.के. बैसाखिया और राइट्स लिमिटेड की ओर से कार्यपालक निदेशक (तकनीकी सेवाएं) संदीप जैन के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोनों संगठनों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत राइट्स, सेल के संयंत्रों और खदानों में इस्तेमाल होने वाले डीजल लोकोमोटिव बेड़े के संचालन, रखरखाव और तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी निभाएगा। इससे लोकोमोटिव की उपलब्धता बढ़ेगी, ब्रेकडाउन की आशंका कम होगी और परिचालन में निरंतरता बनी रहेगी।

इस्पात मंत्रालय के अनुसार, यह साझेदारी दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी। जहां एक ओर सेल इस्पात उत्पादन और खनन में अपनी मुख्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, वहीं दूसरी ओर राइट्स अपनी तकनीकी दक्षता और रेलवे से जुड़े व्यापक अनुभव का इस्तेमाल कर लोकोमोटिव संचालन को अधिक प्रभावी बनाएगा। इससे न केवल परिचालन लागत में कमी आएगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स की समग्र दक्षता भी बढ़ेगी।

मंत्रालय का कहना है कि भारतीय रेलवे जहां तेजी से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर बढ़ रहा है, वहीं डीजल लोकोमोटिव के संचालन और अनुरक्षण के क्षेत्र में राइट्स के पास दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है। रेलवे से जुड़ी आधुनिक कार्यप्रणालियां, स्पेयर पार्ट्स की बेहतर उपलब्धता और प्रशिक्षित मानव संसाधन तक सीधी पहुंच राइट्स को इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। यही वजह है कि सेल की परिचालन जरूरतों को पूरा करने में यह सहयोग बेहद कारगर साबित हो सकता है।

सेल के अधिकारियों का मानना है कि इस समझौते से संयंत्रों के भीतर और खदानों से संयंत्रों तक सामग्री की ढुलाई अधिक समयबद्ध और सुरक्षित हो सकेगी। इससे उत्पादन में किसी भी तरह की बाधा की आशंका कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। साथ ही, बेहतर योजना और अनुरक्षण के जरिए ईंधन की खपत और उत्सर्जन को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रस्तुत गुजरात की झांकी को 'पॉपुलर चॉइस कैटेगरी' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त

सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को विजेता ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

(जीएनएस)। गांधीगर : 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रस्तुत की गई गुजरात की झांकी ने वर्ष 2026 में लगातार चौथे वर्ष 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी द्वारा सोमवार को यह विजेता ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा सूचना आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय रेलवे ने गुजरात में अभूतपूर्व अवसंरचना विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया

(जीएनएस)। ऐतिहासिक बजट आवंटन, आधुनिक स्टेशन और विश्वस्तरीय ट्रेन सेवाओं से बदल रहा है रेल परिदृश्य भारतीय रेलवे ने गुजरात में अभूतपूर्व बजटीय सहयोग और तीव्र अवसंरचना विकास के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिससे राज्य भर में सुरक्षित, आधुनिक और यात्री-केंद्रित रेल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। गुजरात के लिए रेलवे का औसत वार्षिक बजट आवंटन वर्ष 2009–14 के दौरान 589 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026–27 की अवधि में 17,366 करोड़ हो गया है। यह लगभग 29 गुना वृद्धि है, जो राज्य में रेल अवसंरचना और संपर्क सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बड़े पैमाने पर अवसंरचना विस्तार

वर्तमान में गुजरात में 1,28,748 करोड़ लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इन कार्यों में नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास तथा प्रमुख सुरक्षा उन्नयन शामिल हैं, जो नेटवर्क में दीर्घकालिक क्षमता वृद्धि और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हैं।

अमृत स्टेशन योजना: स्टेशनों का कायाकल्प

अमृत स्टेशन योजना के तहत गुजरात के 87 रेलवे स्टेशनों को 6,058 करोड़ की कुल लागत से व्यापक पुनर्विकास हेतु चिन्हित किया गया है। अब तक 19 स्टेशनों - जिनमें सामाख्याली,डाकोर, हापा, जाम जोधपुर, मोरबी, ओखा, पालीताना, पोरबंदर, सहित अन्य स्टेशन शामिल हैं का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे यात्री सुविधाओं और स्टेशन सौंदर्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रीमियम ट्रेनों से बेहतर संपर्क

आधुनिक ट्रेन सेवाओं के परिचालन से यात्री सुविधा और यात्रा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में गुजरात में निम्न सेवाएँ संचालित हैं:

5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस
1 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
1 जोड़ी नमो भारत एक्सप्रेस

ये सेवाएँ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं।

नेटवर्क विस्तार और 100% विद्युतीकरण

वर्ष 2014 के बाद से गुजरात के रेल नेटवर्क में तीव्र विस्तार हुआ है। लगभग 2,900 किमी नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है, जो कई यूरोपीय देशों के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। राज्य ने 4,005 किमी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है जिससे हरित और ऊर्जा-कुशल संचालन को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, समपार फाटकों को समाप्त करने हेतु 1,177 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है और सड़क-रेल यातायात सुगम हुआ है।

कवच प्रणाली से रेल सुरक्षा सुदृढ़

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे गुजरात में स्वदेशी 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लागू कर रहा है। अब तक 96 रूट किमी पर कवच प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, जबकि कुल स्वीकृत 1,842 रूट किमी में से 1,674 रूट किमी पर कार्य या निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। यह रेल सुरक्षा मानकों में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

रिकॉर्ड निवेश, आधुनिक स्टेशनों, प्रीमियम ट्रेनों, पूर्ण विद्युतीकरण और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ भारतीय रेलवे गुजरात के अवसंरचना विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राजस्व क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ राज्य में विभिन्न इनामी जमीनों के अवैध कब्जा अधिकार नियमित किए जाएंगे : किसानों को होगा बड़ा लाभ

▸▸ रीग्रांट की गई हो या करने योग्य होने पर भी रीग्रांट न हुई हो, ऐसी जमीन को आसानी से नियमित किया जा सकेगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व क्षेत्र में राज्य में विभिन्न इनामी जमीनों के अवैध कब्जा अधिकार को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार रीग्रांट की गई हो या करने योग्य होने पर भी रीग्रांट नहीं हुई है, ऐसी जमीन को आसानी से नियमित किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन की मौजूदा जंत्री दर की 20 फीसदी कब्जा अधिकार राशि जमा कर नियमित किया जा सकता है।

इस निर्णय का लाभ ऐसी जमीनों के कब्जेदारों जिनकी जमीनें रीग्रांट की गई हैं, लेकिन कब्जे की कीमत जमा नहीं की गई है तथा ऐसे उत्तराधिकारी जो उस जमीन के धारक हैं, जो रीग्रांट के योग्य है, लेकिन किसी कारण से रीग्रांट नहीं हुई हैं, को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसी हस्तांतरित की गई जमीनों के ऐसे वर्तमान कब्जेदारों को भी इस निर्णय का लाभ मिलने से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होगा।

फियो ने केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना की; एक मज़बूत निर्यात-सक्षम, उद्योग-अनुकूल और एमएसएमई -केंद्रित बजट के लिए सरकार को धन्यवाद: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) केंद्रीय बजट 2026–27 का गर्मजोशी से स्वागत करता है और सरकार को एक साहसिक, दूरदर्शी और सुधार-उन्मुख बजट पेश करने के लिए बधाई देता है जो भारत की विकास यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करता है, साथ ही भारतीय निर्यात, विनिर्माण और एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्णायक रूप से बढ़ाता है।

बजट पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने माननीय वित्त मंत्री और सरकार के प्रति निरंतर आर्थिक विकास, राजकोषीय विवेक, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विश्वास-आधारित शासन के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उपाय व्यापार और निवेश इकोसिस्टम को और अधिक ऊर्जा देंगे और निर्यातकों को एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल प्रदान करेंगे। श्री रल्हन ने कहा, "केंद्रीय बजट 2026–27 स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक क्षमता को ठोस प्रदर्शन में बदलने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। विनिर्माण, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर मज़बूत ज़ोर—सार्थक कर और सीमा शुल्क सुधारों द्वारा समर्थित—भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से और प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।"

फियो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कपड़ा, रसायन, विमान घटक, निर्माण उपकरण और दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट जैसे उच्च-मूल्य और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करता है। 200 पुराने औद्योगिक समूहों के प्रस्तावित पुनरुद्धार, कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों के साथ, पैमाने, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात की तैयारी में सुधार की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि उद्योग भारत के निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने के लिए इन पहलों का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए तैयार है।

व्यापार सुविधा उपायों का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि प्रमुख इनपुट पर शुल्क छूट, निर्यात समय-सीमा का विस्तार, विश्वसनीय निर्यातकों की

पहचान और कारखाने परिसर से निर्यात कार्गो की निकासी से लेनदेन लागत में काफी कमी आएगी, व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा और आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "ये सुधार सीधे तौर पर निर्यातक के आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगे।"

फियो अध्यक्ष ने एमएसएमई के लिए सरकार के मज़बूत और सोचे-समझे सपोर्ट की भी तारीफ़ की, जिसमें तीन तरह के तरीके अपनाए गए हैं: 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड को बढ़ाना, टीआरईडी पर सीपीसीई की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग, और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। श्री रल्हन ने कहा, "एमएसएमई भारत के निर्यात इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। बजट में तरलता सहायता, इक्विटी समावेश और प्रोफेशनल कैपेसिटी-बिल्डिंग पर फोकस एमएसएमई को आगे बढ़ने, इनोवेशन करने और ग्लोबल चैंपियन बनने के लिए सशक्त करेगा।"

फियो ने सर्विस सेक्टर पर नए सिरे से ज़ोर देने का भी स्वागत किया—जिसमें आईटी, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, शिक्षा, डिज़ाइन, खेल और केयर इकोनॉमी शामिल हैं—जिसे सेफ हार्बर प्रावधानों और ज़्यादा टैक्स निश्चितता से सपोर्ट मिला है। ये उपाय, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, जलमार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर लगातार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के साथ मिलकर, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे और एक वैश्विक सेवाओं और विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करेंगे।

बजट की दिशा में विश्वास व्यक्त करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए एक मज़बूत नींव रखता है, जो विकास, समावेशन और राजकोषीय अनुशासन को संतुलित करता है। उन्होंने कहा "बजट वैश्विक बाजारों को एक मज़बूत और सकारात्मक संकेत भेजता है और एक विश्वसनीय, लचीले और आकर्षक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। भारतीय उद्योग और निर्यातक इन पहलों के लाभों को अधिकतम करने और निर्यात-आधारित विकास में तेज़ी लाने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"